

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**वित्त विभाग**  
**मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर**



—00—

कमांक एफ 1-4/2009/स्था./चार/914

नया रायपुर, दिनांक 25/07/2018

प्रति

सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन,  
नया रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय:—राज्य शासन के अधीन स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मंडलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों में पदस्थ कर्मचारियों के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में।

संदर्भ:—कृषि विभाग का जावक कमांक/1793/अ.मु.स./क., दिनांक 12.12.2017

—0—

वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के (वित्त निर्देश 56/2012) परिपत्र कमांक 1230/एफ 1-41/2009/वित्त/स्था./चार/2012, दिनांक 01 अगस्त, 2012 द्वारा राज्य शासन के अधीन स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों में दिनांक 01.04.2012 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया था।

2. राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि छ.ग.राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड, बीज भवन, रायपुर के कर्मचारियों हेतु उपरोक्त उल्लिखित योजना दिनांक 01.04.2012 के स्थान पर दिनांक 01.11.2004 से लागू माना जाये। इस हेतु पूर्व अवधि का अंशदान सी.आर.ए. सिस्टम में "एरियर" के रूप में शामिल किया जायेगा एवं इस अंशदान की मासिक प्रविष्ट आवश्यक होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(प्रेमा गुलाब एक्का)

अवर सचिव

कमांक एफ 1-4/2009/स्था./चार/915

नया रायपुर, दिनांक 25/07/2018

प्रतिलिपि:—

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
5. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
7. समस्त मान.मंत्री जी के विशेष सहायक/निज सचिव, नया रायपुर
8. महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर
9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर

10. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर के वित्त विभाग की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
13. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
14. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
15. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
16. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
17. राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग, रायपुर
18. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
19. समस्त वरिष्ठ कोषालय अधिकारी/कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
20. समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी, छत्तीसगढ़
21. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
22. नियंत्रक, शासकीय मुद्रन एवं लेखन सामग्री, नया रायपुर
23. समस्त मान्यता-प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़



अवर सचिव